



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022025-260687  
CG-DL-E-01022025-260687

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 31, 2025/माघ 11, 1946

No. 2]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 31, 2025/MAGHA 11, 1946

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2025

का.नि.आ. 2(अ).—उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी अधिसूचना सं. 76/2018/1574/1-5-2018-72/2017 तारीख 18 अक्टूबर 2018 के द्वारा विद्यमान इलाहाबाद जिले का नाम परिवर्तित कर प्रयागराज जिला कर दिया है;

और इलाहाबाद छावनी प्रयागराज जिले के भीतर स्थित है;

और छावनी बोर्ड इलाहाबाद द्वारा विद्यमान इलाहाबाद छावनी का नाम बदलकर प्रयागराज छावनी करने के लिए अवधारित किया गया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 259 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जैसा कि छावनी बोर्ड, इलाहाबाद द्वारा अवधारित किया गया है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इलाहाबाद छावनी को प्रयागराज छावनी प्रभावी होने की घोषणा करती है।

[फा. सं. 14(6)/2022-रक्षा(क्यू एंड सी)]

राकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF DEFENCE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st January, 2025

**S.R.O. 2(E).**—Whereas, the Government of Uttar Pradesh has vide its notification number 76/2018/1574/1-5-2018-72/2017 dated the 18<sup>th</sup> October, 2018, altered the name of the existing district of Allahabad to district of Prayagraj;

And whereas, the Allahabad Cantonment is located within the district of Prayagraj;

And whereas, the Cantonment Board, Allahabad has determined to alter the name of the existing Allahabad Cantonment to Prayagraj Cantonment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 read with sub-section (1) of section 259 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), the Central Government, as determined by the Cantonment Board, Allahabad, hereby declares the Allahabad Cantonment to Prayagraj Cantonment with effect from date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No 14(6)/2022-D(Q&C)]

RAKESH MITTAL, Jt. Secy.